

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर**  
पीठासीन अधिकारी:- श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 40/2018  
सहीराम पुत्र मलूराम जाति बिश्नोई निवासी पिथरासर तहसील नोखा

अपीलान्ट

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोखा जिला बीकानेर

रेस्पोंडेन्ट

**::अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956::**

उपस्थिति :-

- 1- अपीलान्ट की ओर से - श्री सन्तनाथ योगी अधिवक्ता  
2- स्टेट की ओर से - विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक 21.01.2019

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार नोखा के आदेश दिनांक 04.09.2018 से व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायिक, साभ्यिक व प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड मंगवाया जाकर मामले के गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस है कि अपीलान्ट ने ग्राम पिथरासर के खसरा नं. 514 तादादी 1.60 वर्गमीटर गैर-मुमकिन रास्ता भूमि पर किसी भी तरह से नाजायज कब्जा नहीं किया तथा ना ही रास्ते को अवरुद्ध किया, मात्र गांव के भंवरलाल द्वारा रंजिश की वजह से गलत रूप से शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता के बहकावे में आकर अपीलान्ट के विरुद्ध गलत रूप से कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट की ग्राम पिथरासर में खसरा नम्बर 150, 521, 523, 744/524, 798/522 में खातेदारी भूमि स्थित है उक्त भूमि पर अपीलान्ट ने चारों तरफ बाड़ बना रखी है। अपीलान्ट की भूमि के पास ही खसरा नम्बर 514 में गैर-मुमकिन रास्ता है जो आज भी चालू है अपीलान्ट द्वारा किसी भी तरह से रास्ते को अवरुद्ध नहीं किया गया है मौके पर अपीलान्ट की फसल खड़ी है तथा



श्री. जिला कलक्टर  
(प्रशासन), बीकानेर

मौके पर किसी भी तरह से पैमाईश व सीमाज्ञान नहीं किया गया, जिससे अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी में आता की अपीलान्ट अपनी भूमि पर काबिज है अथवा गैर-मुमकिन रास्ते पर उसका अतिक्रमण है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी भी तरह की कोई शहादत व रिकार्ड नहीं थी। हल्का पटवारी के बयान नहीं लिये गये तथा ना ही अपीलान्ट को शहादत प्रस्तुत करने का कोई मौका दिया गया तथा पूर्व में भी टीम गठित करके राजस्व विभाग द्वारा पैमाईश करीब 4 वर्ष पूर्व की गई थी उस पैमाईश व सीमाज्ञान के आधार पर ही अपीलान्ट काबिज है। ग्राम पिथरासर के खातेदार जगदीश पुत्र लिखमाराम ने कृषि भूमि बाबत स्टे ले रखा है जिसकी वजह से पैमाईश नहीं की जा रही है मार्ग पूर्व से पश्चिम आज भी मौके पर चलता है। पिथरासर से मूंजासर जो आज भी रास्ता चालू है। अपीलान्ट पैमाईश कराने हेतु तैयार है जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो सकती है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश बाबत अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी अपीलान्ट को हल्का पटवारी ने दिनांक 12.10.2018 को बताया की आपके खिलाफ बेदखली के व तावान वसूली के आदेश दिये हैं तब अपीलान्ट दिनांक 15.10.18 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया, नकल दिनांक 16.10.2018 को मिली, तब अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी हुई, इससे पूर्व अपीलान्ट को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। जो डिले कन्डोन करने योग्य है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उल्लेखित तथ्यों व रिकार्ड के विपरीत आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 04.09.2018 निरस्त फरमाया जावे।

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि पटवारी हल्का जयसिंहदेसर मगरा द्वारा पी- 14 में आश्य की रिपोर्ट पेश की गई कि अपीलार्थी सहीराम पुत्र मलूराम जाति बिश्नोई साकिन पिथरासर ने ग्राम पिथरासर के खसरा नम्बर 514 रकबा 0.016 है० गैर मुमकीन रास्ते पर संवत 2075 में 160 वर्ग मीटर बाड़ द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया है। इस पर गैर सायल को नोटिस भेजा गया। जिसका संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित कर 50 गुणा तावान की शास्ति से आरोपित किया गया व भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिया गया है। अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन रास्ता है। अपीलार्थी गैर मुमकीन रास्ते पर अतिक्रमण करने का दोषी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।



जिला कलेक्टर  
जयपुर

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलार्थी के विरुद्ध दिनांक 4.09.2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। जिसकी अपील अदालतवाला में दिनांक 18.10.2018 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट दिनांक 23.08.2018 को उपस्थित रहे जिसमें पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 29.08.2018 तय की गई। उक्त तिथि को अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुवे तथा निर्णय भी नहीं सुनाया गया, जो कि दिनांक 04.09.2018 को सुनाया गया। उस दिन भी अपीलार्थी उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को निर्णय की जानकारी रही हो। यह प्रमाणित नहीं होता। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम न्याय हित में स्वीकार करते हुवे अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पी- 14 का अवलोकन किया जिसमें पटवारी हल्का ने यह अंकित किया गया है कि अतिक्रमी द्वारा गैर मुमकीन रास्ता पर बाढ़ बनाकर अवैध कब्जा किया हुआ है अर्थात रास्ता छोटा कर दिया है। अपीलान्ट का भी यही कथन है कि अपीलान्ट की भूमि की पैमाईश कर यदि रास्ते की भूमि पर अतिक्रमी पाये जावे तो हटाने को तैयार है। इस प्रकार यह प्रकरण पैमाईस एवं निशानदेही से संबंधित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 4.9.2018 को निरस्त कर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) की जाती है कि तहसीलदार पटवारी द्वारा की गई रिपोर्ट का गिरदावर से निशानदेही एवं सत्यापन करवाकर निर्णय पारित करें।

6. निर्णय आज दिनांक 21.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।



( ए.एच. गौरी )  
 अति.जिला कलक्टर (प्रशा.)  
 अति. बीकानेर  
 (प्रशासन), बीकानेर